

हुम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुम

30/08/24

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र हाजा अधीन धारा 212 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 से संबंधित मूल वाद संख्या 128/2020 अनुवान जीवणनाथ बनाम बनाराम वगैरह अधीन धारा 53, 188 का अन्तिम तौर पर निस्तारण दिनांक 30.08.2024 को किया जाकर माफिक प्राथमिक डिक्री प्रस्ताव के अनुसार अन्तिम डिक्री किया जा चुका है। अतः प्रकरण हाजा को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है तथा प्रकरण हाजा में दिनांक 06.09.2013 को पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को अपास्त किया जाना उचित है। अतः प्रार्थना पत्र हाजा मूल वाद के निर्णय हो जाने से पोषणीय नहीं रहने से निस्तारित किया जाता है। प्रकरण अपने नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ दाखिल दफ्तर हो।

*(Handwritten signature)*

*(Faint handwritten notes and stamps, including a QR code at the bottom right)*